## न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय (म0प्र0) ग्वालियर

निगरानी – 5881/2018/सीधी/भू.रा.

भीमसेन नाई तनय स्व0श्री छोटेलाल नाई उम्र–35 वर्ष, पेशा–खेती निवासी ग्राम–डोल, तहसील, सिंहावल हाल तहसील बहरी, जिला सीधी (म0प्र0) ——— आवेदक

**बनाम**

1. रामलाल साहू तनय श्री नोखई साहू उम्र–45 वर्ष, पेशा–खेती, निवासी ग्राम पतुलखी हाल निवास–डोंल, तहसील सिहावल हाल तहसील बहरी जिला सीधी (म0प्र0) ——— अनावेदक

निगरानी विरूद्ध आदेश अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय जिला सीधी (म0प्र0) पीठासीन अधिकारी (श्री डी0पी0 वर्मन साहब) के न्यायालय कें प्रकरण क्र0 68/अ–74/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2018 के द्वारा आवेदक का स्वप्रेरणा निगरानी आवेदन निरस्त कर न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय तहसील सिंहावल जिला सीधी (म0प्र0) के प्रकरण क्रमांक 4/अ–19(2)/93–94 आदेश दिनांक 22.04.1994 जो अवैधानिक, कब्जा के अभाव में अधिकारिता विहीन आदेश था को यथावत रखा गया है जिससे व्यथित यह निगरानी पेश की जा रही है।

निगरानी अंतर्गत धारा 50म0प्र0भू0रा0 सं01959

श्री ........ द्वारा आज दि. 25.9.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 15.10.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 25.9.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

भीमसेन

XXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - निगरानी-5881/2018/सीधी/भू.रा.

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 13/05/2019 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 68/अ-74/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.2019 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हों।<br><br>(बी.एम. शर्मा)<br>सदस्य | |